



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

दिनांक 11/04/2020

क्रमांक : विशेष / 1

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय)

विषय :- आपके जिले में संग्रहण केन्द्रों एवं केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्रों पर रखे अमूल्यांकित बण्डलों का अंकन करवाने के क्रम में ।

महोदय,

राज्य सरकार की विडियों कान्फ्रेंसिंग में प्राप्त के निर्देशों के क्रम में आपके जिले में संग्रहण केन्द्रों एवं केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्रों पर रखे जो बंडल अमूल्यांकित है उन्हें सम्बन्धित परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु वितरित करने की शीघ्रतिशीघ्र व्यवस्था करावें।

1. जिन परीक्षकों ने एक बंडल जॉच लिया है, उन्हें दूसरा बंडल दिया जा सकता है।
2. लॉक-डाउन की स्थिति देखते हुए नियमान्तर्गत स्थानीय प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त कर बंडल बँटवाने की व्यवस्था करावें। बंडल वितरण हेतु वाहन की आवश्यकता हो तो बोर्ड की स्वीकृत दरों पर इंडिगो अथवा टवेरा में से कोई एक वाहन (आवश्यकतानुसार) किराये पर लिया जा सकता है। वाहन किराये पर लेने पर न्यूनतम 30 (तीस) बंडल प्रतिदिन वितरण करना होगा। वितरण कार्य की अनुमति के लिए सभी जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बोर्ड द्वारा निवेदन का पत्र प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3. यदि शहर में ही विषय के अनुभवी राजकीय सेवारत अध्यापक उपलब्ध हो तो उनसे अंकन कार्य करवा लिया जावे परन्तु कौनसा बंडल किस परीक्षक को दिया गया है इसका विवरण सम्बन्धित फार्म (रिफ्यूजल फार्म) पर अवश्य रखें, जिससे भुगतान आदि के समय कोई परेशानी न हो।
4. लॉक-डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बंडलों का वितरण कर सूचना बोर्ड को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
5. कार्य पूर्ण होने पर वहाँ लगे होमगार्ड को कार्य-मुक्त कर दें। होमगार्ड से सम्बन्धित रिकार्ड भी संधारित करावें।
6. दिनांक 18 व 19 मार्च 2020 की परीक्षा के बंडल बोर्ड कार्यालय में रखे हैं, जिन्हें शीघ्र ही जिलों में भेजे जाने का प्रयास किया जा रहा है।
7. अंकित बंडलों के अंक परिस्थिति अनुसार सीधे बोर्ड को (स्पीड-पोस्ट) भेजे जा सकते हैं अथवा जिले में एक स्थान पर एकत्रित करवाएँ जा सकते हैं।
8. आपके जिले में यदि किन्ही केन्द्रों के प्रश्न-पत्र पुलिस चौकियों में रखे हैं तो उन्हें निकटतम पुलिस थाने पर रखवाकर वहाँ लगे होमगार्ड को तीन दिवस में कार्य मुक्त करें।

छात्र हित में उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र करावें जिससे समय पर परिणाम जारी होने की कार्यवाही सम्भव हो सकें।

www.rajteachers.com

भवदीय,
(अरविन्द कुमार सेंगवा)
मुख्य परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त सयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग
2. समस्त मुख्या जिला शिक्षा अधिकारी
3. निजी सचिव, अध्यक्ष/सचिव, मा.शि.बो. अजमेर

(जी.के.माथुर)
निदेशक, गोपनीय